



यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

[illegible]

फाइल-टाई.ई.ए./निर्दिष्ट/87-62/1903/2015

दिनांक- 31/03/2019

सेवा में.

नैरर्त्ता गौरशन्ता रियलर्टिक ज्ञा० लि०

मुख्य संख्या - १, अमर. ११६-२

इन्द्रापुरम, गातिवाण्ड

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक- 02/02/2017 का सुन्दर ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा पॉकेट-3 सीट-70 गुमनाम इन्फ्रेस्टारे पर प्रस्तुत पुनरीक्षित तलपट मानचित्र पर सप्तम विधायकनाम स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रधान की गयी है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है।

1. परिगणना दिनांक के पत्राक-बार्ड ई.ए./एस.एम(प्रो)/नॉक संकित 1/2015/252 दिनांक-05/06/2015 द्वारा Services/Dimension Plan के सम्बन्ध में तत्संबंधित स्मो शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है साथ ही परियोजना विभाग द्वारा बचरी ड्रेनेज के लिए जो लेफल आउटों को उपलब्ध कराये जायेंगे उक्तके अनुरूप स्थान को तैयार कर प्राधिकरण करने होंगे।
2. एल.एफ.डी-3 में पॉकेट-3 (मिडर्स गौर सन्त को आवंटित भूमि) की बचरी गाँवों में परिवर्तन होने की स्थिति में संस्था को ले-आउट प्लान तदनुसार पुनर्गठित करना होगा।
3. प्रत्येक प्रस्तावित भूखण्ड पर गिनाना हेतु मानचित्र प्राधिकरण भवन विद्यावती के अनुरूप मास्टर प्लान/कंसेप्शन एग्रीमेंट के अनुसार अनुमोदित कराया जाना होगा।
4. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष तक वैध है। साथ ही कंरोल एग्रीमेंट की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
5. आर्वाटी द्वारा भवन विनियमावली के अनुसार विस्तृत मार्किंग प्लान व हैण्ड स्कैचिंग प्लान प्रत्येक भवन मानचित्र के साथ अनुमोदित कराया जायेगा।
6. मानचित्र जिसे प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उरी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमत्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
7. प्राधिकरण के जल विभाग द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था का विकास करना होगा। भूमिगत जल के उपयोग हेतु Ground Water Commission व अन्य Agencies की नीति के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
8. पर्यावरण, अग्निशानन विभाग द्वारा निर्गित निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिरचना संख्या 1067 दिनांक 14/09/06 में निर्दिष्ट प्राविधानों एवं सनथ-सनथ पर संशोधनों के अन्तर्गत पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भोजन विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है साथ ही स्वीकृत मानचित्र पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु भी अनुमत्य होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ किया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं यचना एक्सप्रेसवे भवन विनियमावली के अन्तर्गत अवश्यकर कार्यवाही की जायेगी।

10. ग्रीन, ओपन स्पेस, ग्राउन्ड कवरेज, एफ.ए.आर. रोटरेक, आदि पर मास्टर प्लान, मवन विनियमावली (यथा संशोधित), कंसेशन एग्रीमेंट एवं लॉ पट्टा प्रलेख में दिये गये नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. प्रस्तावित भूखण्ड में जो भूमि गण उच्च न्यायालय के स्थापनादेश से प्रभावित है उस पर मानचित्र केवल निरीक्षण हेतु प्रतीकात्मक रूप से रहेगा तथा प्राधिकरण द्वारा उस पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं किया जा रही है।
12. एनओजीएटी द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।
13. भू-उपयोग/भू-विन्यास मानचित्र से कोई भी third party liability/Interest प्रभावित होता है तो इसकी सन्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
14. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायाहित कर संरक्षित किया जायेगा।
15. योजना स्थल के समीप स्थित ग्रामीण आवादी के लिए प्राधिकरण अथवा अस्था द्वारा वैकल्पिक एप्रोच रोड का निर्माण किये जाने तक वर्तमान एप्रोच रोड संस्था द्वारा बन्द नहीं की जायेगी।
16. संस्था द्वारा प्रस्तावित कलपट मानचित्र में आवासीय भू-उपयोग क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी भूखण्ड की प्रवेश/निकास केवल एल.एफ.डी के आन्तरिक मार्ग पर दी जाएगी। किसी भी भूखण्ड पर प्रवेश/निकास सीधे प्राधिकरण की सड़कों पर अनुमत्य नहीं होगी।
17. सालिड वेस्ट डिस्पोजल व मैनेजमेंट आक्टों द्वारा स्वयं किया जाएगा।
18. अक्टों संस्था को योजना की अवस्थापना सुविधाओं/सेवाओं के प्राधिकरण की अवस्थापना सुविधाओं/सेवाओं के साथ जोड़ने हेतु एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में कन्सेशन, एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार तथा प्राधिकरण की नीति एवं निर्देश के अनुरूप कार्यवाही करनी होगी।
19. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. 40000.00 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में एक Creche या एक मिल्क बुथ का प्राविधान फॅसिलिटी के रूप में देना अनिवार्य होगा।
21. आक्टों के प्राधिकरण/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुक्षण पुलक/उपयोग व्यय वहन करने होंगे।
22. Sub-division regulations तथा समय साथ पर जारी अन्य regulations का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र की प्रति।

भवदीया,

meera
31.3.12

(मीना भार्गव)

महाप्रबन्धक-नियोजन

प्रतिलिपि-

- निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
- उप महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक-नियोजन